(60)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

10 रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R-4240-PBR/16

मनोज कुमार बड़ोनिया आयु करीब 45 वर्ष
आत्मज स्व. श्री झब्बूलाल बड़ोनिया
निवासी शॉपिंग सेंटर सारणी
तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल——————————————याचिकाकर्ता

बनाम

1. चम्पाबाई पति स्व. श्री अमृतलाल बड़ोनिया
   निवासी–शास्त्री वार्ड सदर बैतूल
   तहसील व जिला बैतूल
2. बुधियाबाई पति स्व. श्री हरनारायण टोरिया
   निवासी–शॉपिंग सेंटर सारिणी
   तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल
3. राजेश कुमार पिता स्व. झब्बूलाल बड़ोनिया
4. बृजेश पिता स्व. झब्बूलाल बड़ोनिया
   निवासी–शॉपिंग सेंटर सारिणी
   तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल
5. पंकज पिता स्व. झब्बूलाल बड़ोनिया
   निवासी–1262 सारणी
   तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल
6. श्रीमति कमलेश पिता स्व. बब्बूलाल
   पत्नि रविशंकर कोठिया निवासी–तिलक मार्केट
   छिन्दवाड़ा तहसील व जिला बैतूल
7. विवेक पिता राकेश पंड्या
8. अक्षय पिता राकेश पांड्या
9. प्रज्ञा पिता राकेश पंड्या
   निवासी–सिवनी तहसील सिवनी जिला छिंदवाड़ा——————————उत्तरवादीगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभि. द्वारा आज दि. 16-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16/12/16 दिवाकर दीक्षित (अभि.)

791
16.12.16

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता :–

याचिकाकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षयाचिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 100–अ/27 वर्ष 2014–15

06/10/2016 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि याचिकाकर्ता को दिनांक 17/11/2016 को प्राप्त हुई है उक्त पारित आदेश दिनांक 06/10/2016 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4240–पीबीआर/16 जिला बैतूल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार घोडाडोंगरी जिला बैतूल के प्रकरण क्रमांक 100/अ-27/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दि. 6-10-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क मुख्य रूप से यह कहा गया कि तहसील न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि आवेदकगणों की ओर से व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया है एवं प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकगणों के अभिवचनों के अनुसार उन्होंने स्वत्व का प्रश्न उठाया है एवं स्वत्व संबंधी व्यवहार वाद प्रचलित है ऐसी स्थिति में जब व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण स्वयं आवेदकगण प्रार्थित कर रहे है तथा विभाजन के अनुतोष की मॉग की है तब राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण प्रचलनशील नहीं होने से निरस्त किये जाने के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन स्वीकार योग्य था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में त्रुटि की गई है इसलिये तहसील न्यायालयद्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये । 4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये। 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारा प्रकरण में तहसील न्यायालय में तथा व्यवहार न्यायालय में कार्यवाहियों का स्वरूप पृथक पृथक होता है । व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने की स्थिति में तहसील न्यायालय में कार्यवाही रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है । अत: कार्यवाही रोके जाने संबंधी आवेदक की आपत्ति तहसील न्यायालय द्वारा सही निरस्त की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार घोडाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि. 6-10-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	